# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
## राजस्व अपील संख्या :— 06/20

सुखराम पुत्र श्री भागीरथ राम जाति जाट निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला।

....रेस्पोडेन्ट

## अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

**—: निर्णय :—** **दिनांक :—**

अपील का ब्यौरा इस तरह से है कि अपीलांट सुखराम पुत्र भागीरथ राम को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 42/9 और 42/17 की 50 बीघा भूमि विशेष आवंटन के तौर पर आवंटित हुई थी। अपीलांट ने आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए प्रस्तुत किया तो तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 191 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह आवंटन विनिमय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना जारी किया गया है, इसलिए यह नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि तहसीलदार को उक्त विवेचना करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए तहसीलदार द्वारा खारिज किए गए नामांतरण को ख़ारिज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 191 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 2000 में विशेष आवंटन के तहत चक 1—2 एमडीएम के मुरब्बा नंबर 203/04 पर आवेदन किया था लेकिन उस समय अपीलांट को भूमि आवंटन नहीं हो पाई। सन 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए) 5 4 के तहत अपीलांट को विवादित आराजी आंवटन कर दी।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया। उक्त नियम के अनुसार यदि किसी भूमि पर समान प्राथमिकता वाले एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस भूमि का आवंटन उन आवेदकों के मध्य मोहरबंद बोली के जरिए किया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनको इस प्रक्रिया के कारण भूमि आवंटित नहीं हो सकी हो उन्हें दूसरी भूमि ,जिसे पूर्व में अधिसूचित किया गया था और जिस के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, आवंटित की जा सकेगी बशर्ते की उस दूसरी भूमि पर कोई अन्य आवेदन लंबित ना हो।

नियम 13(ए) 5 4 के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न जानकारी का होना—

सन 2000 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार आवेदन किया गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रह गया था।

इन सब बिंदुओं पर जांच किए बगैर नियम 13(ए) 5 4 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता है। लेकिन आवंटन आदेश 2017 में इन बिंदुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इन तथ्यों की जानकारी के बिना इस बात पर फैसला नहीं लिया जा सकता है कि क्या अपीलांट वास्तव में अन्यत्र भूमि आवंटित करवाने का अधिकारी था? इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है होता है कि 2017 का आवंटन आदेश नियम संगत नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इंतकाल संख्या 191 को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त एलॉटमेंट आदेश 2017 की विस्तृत जांच करें। यदि वह आदेश विधि संगत है तो उसका नामांतरण दर्ज करें यदि उस आदेश में कोई विधिक त्रुटि है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:38:14 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह),
(आर.ए.एस.)

**उपखण्ड अधिकारी,**
**(खाजूवाला)**